



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042022-235456
CG-DL-E-30042022-235456

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1903]
No. 1903]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2022/वैशाख 9, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2022/VAISAKHA 9, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2022

का.आ. 2003(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59ए डिजाईन चैनेज के कि.मी. 29.300 से कि.मी.30.520 (सब डिवीज़नल ऑफिसर (रा.), देवास, जिला - देवास (म.प्र.)) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब डिवीज़नल ऑफिसर (रा.) देवास को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्,

यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59ए के डिजाइन चैनेज कि.मी. 29.300 से कि.मी.30.520 (सब डिवीज़नल ऑफिसर (रा.), देवास, जिला-देवास (म.प्र.) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: देवास			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: देवास					
गांव का नाम: बारोली					
1	622	सरकारी	बड़े झाड़ का जंगल	0.0012000(हेक्टेयर)	0.0012000
2	623	सरकारी	सेवाखाता	0.1806000(हेक्टेयर)	0.1806000
3	624	सरकारी	चरनोई	0.5260000(हेक्टेयर)	0.5260000
4	625	सरकारी	सड़क	0.2010000(हेक्टेयर)	0.2010000
गांव का नाम: राघोगढ़					
1	782/2/1	निजी	सिंचित	0.0274000(हेक्टेयर)	0.0274000
2	782/2/2	निजी	सिंचित	0.0661000(हेक्टेयर)	0.0661000
3	782/2/3	निजी	सिंचित	0.0066000(हेक्टेयर)	0.0066000
4	785/1/2	निजी	सिंचित	0.1447000(हेक्टेयर)	0.1447000
5	785/2	निजी	सिंचित	0.0118000(हेक्टेयर)	0.0118000
6	787	निजी	असिंचित	0.0156000(हेक्टेयर)	0.0156000
7	793	निजी	असिंचित	0.2195000(हेक्टेयर)	0.2195000
8	794	निजी	असिंचित	0.0811000(हेक्टेयर)	0.0811000
9	795	सरकारी	सड़क	0.3423000(हेक्टेयर)	0.3423000
10	796	सरकारी	सड़क	0.8741000(हेक्टेयर)	0.8741000

11	797	सरकारी	सड़क	0.8578000(हेक्टेयर)	0.8578000
12	798	निजी	असिंचित	0.1900000(हेक्टेयर)	0.1900000
13	799	निजी	असिंचित	0.4501000(हेक्टेयर)	0.4501000
14	800	निजी	असिंचित	0.0077000(हेक्टेयर)	0.0077000
15	801	निजी	असिंचित	0.1990000(हेक्टेयर)	0.1990000
16	802	निजी	असिंचित	0.2364000(हेक्टेयर)	0.2364000
17	803	निजी	असिंचित	0.0910000(हेक्टेयर)	0.0910000
18	804/1	निजी	असिंचित	0.1709000(हेक्टेयर)	0.1709000
19	805	निजी	असिंचित	0.0433000(हेक्टेयर)	0.0433000
कुल				4.9442	4.9442

[फा. सं. NHAI/LA/2017/3(a)-Notif/PIU-Indore/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th April, 2022

S.O. 2003(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH59A in the stretch of land from Km. 29.300 to Km. 30.520 (Sub Divisional Officer (R), Dewas, District - Dewas (M.P.)) in the district of DEWAS in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer (R) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH59A in the stretch of land from Km. 29.300 to Km. 30.520, NH59A (Sub Divisional Officer (R), Dewas, District - Dewas (M.P.)) in the district of DEWAS in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH		District: DEWAS			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Dewas					
Village: Baroli					
1	622	Government	Forest	0.0012000(Hectare)	0.0012000
2	623	Government	Sewakhata	0.1806000(Hectare)	0.1806000
3	624	Government	Charnoi	0.5260000(Hectare)	0.5260000
4	625	Government	Road	0.2010000(Hectare)	0.2010000
Village: Raghogarh					
1	782/2/1	Private	Irrigated	0.0274000(Hectare)	0.0274000
2	782/2/2	Private	Irrigated	0.0661000(Hectare)	0.0661000
3	782/2/3	Private	Irrigated	0.0066000(Hectare)	0.0066000
4	785/1/2	Private	Irrigated	0.1447000(Hectare)	0.1447000
5	785/2	Private	Irrigated	0.0118000(Hectare)	0.0118000
6	787	Private	Unirrigated	0.0156000(Hectare)	0.0156000
7	793	Private	Unirrigated	0.2195000(Hectare)	0.2195000
8	794	Private	Unirrigated	0.0811000(Hectare)	0.0811000
9	795	Government	Road	0.3423000(Hectare)	0.3423000
10	796	Government	Road	0.8741000(Hectare)	0.8741000
11	797	Government	Road	0.8578000(Hectare)	0.8578000
12	798	Private	Unirrigated	0.1900000(Hectare)	0.1900000
13	799	Private	Unirrigated	0.4501000(Hectare)	0.4501000
14	800	Private	Unirrigated	0.0077000(Hectare)	0.0077000
15	801	Private	Unirrigated	0.1990000(Hectare)	0.1990000
16	802	Private	Unirrigated	0.2364000(Hectare)	0.2364000
17	803	Private	Unirrigated	0.0910000(Hectare)	0.0910000
18	804/1	Private	Unirrigated	0.1709000(Hectare)	0.1709000
19	805	Private	Unirrigated	0.0433000(Hectare)	0.0433000
Total				4.9442	4.9442

[F. No. NHAI/LA/2017/3(a)-Notif/PIU-Indore/3A]

RAJESH GUPTA, Director